

7/3 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

30/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील व वकील

वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावानी

गयी। आवाज लगावने के उपरांत भी वकील

की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः

वकील का वाद पत्र ऊपर हाजरी ऊपर

पेशी में खाली किया जाता है, पत्रावली

मौलिक सुनवाई होकर अदालत से क्या होकर इफ्तार

दाखिल है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

